

दिनांक 18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए
उत्तरी चाय और दक्षिणी चाय की कीमत

2863. श्री ए. राजा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या प्राधिकारियों द्वारा घोषित चाय के न्यूनतम निर्धारित मूल्य में उत्तरी चाय और दक्षिणी चाय के बीच मूल्य अंतर है;
- (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या दक्षिण भारत विशेषकर नीलगिरी जिले के छोटे चाय उत्पादकों की ओर से चाय के न्यूनतम निर्धारित मूल्य बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन और याचिकाएं आई हैं क्योंकि बढ़ती उत्पादन लागत के कारण वर्तमान निर्धारित मूल्य अपर्याप्त है;
- (घ) यदि हां, तो क्या मंत्रालय हरी चाय की पत्तियों के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने पर विचार करेगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है तथा उत्पादन लागत बढ़ रही है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): वर्तमान में, निर्मित चाय के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का कोई प्रावधान नहीं है। ग्रीन टी लीफ के मूल्य के संबंध में, देश के सभी चाय उत्पादक जिलों के लिए जिला औसत ग्रीन लीफ टी की कीमत हर महीने घोषित की जाती है, जो कि एक जिले के लीफ खरीदार के कारखानों द्वारा निर्मित चाय की औसत नीलामी मूल्य पर आधारित होती है।

(ग) से (ङ.): चाय उत्पादकों, विशेष रूप से छोटे उत्पादकों, को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, चाय बोर्ड ने बिक्री की आय को उत्पादक और विनिर्माता के बीच एक निश्चित अनुपात में उचित रूप से साझा करने के लिए मूल्य साझेदारी फार्मूला (पीएसएफ) लागू किया, जो ग्रीन लीफ और निर्मित चाय के उत्पादन की लागत पर आधारित है। इसके अलावा, पीएसएफ के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, ग्रीन लीफ के लिए मूल्य औसत नीलामी मूल्य के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं और प्रत्येक चाय उत्पादक जिले के लिए अधिसूचित किए जाते हैं और उत्पादकों को ग्रीन लीफ के मूल्य के भुगतान की निगरानी जिला ग्रीन लीफ मूल्य निगरानी समितियों द्वारा की जाती है जिसकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट करते हैं।
